



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 2013
(BHADRA 16, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 7th September, 2013

No. 21—HLA of 2013/64.—The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 21 – HLA of 2013

THE HARYANA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT BILL, 2013

A

BILL

to protect the interest of depositors in financial establishment and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires.— Definitions

(a) “competent authority” means the authority appointed under section 5;

- (b) "deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any financial establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include—
- (i) an amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines issued and regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (Central Act 15 of 1992);
 - (ii) an amount contributed as capital by partners of a firm;
 - (iii) an amount received from a Scheduled bank or a cooperative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);
 - (iv) any amount received from—
 - (I) the Industrial Development Bank of India;
 - (II) a State Financial Corporation;
 - (III) any financial institution specified in section 4A of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956);
or
 - (IV) any other institution that may be specified by Government in this behalf;
 - (v) amounts received in the ordinary course of business by way of—
 - (I) security deposit;
 - (II) dealership deposit;

(III) earnest money; or

(IV) advance against order for goods or services:

(vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate, registered under any enactment relating to money lending for the time being in force in the State;

(vii) any amount received by way of subscriptions in respect of a Chit.

Explanation.- For the purpose of this clause, "Chit" shall have the same meaning as assigned to it under clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (Central Act 40 of 1982); and

(viii) any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable);

c) "designated court" means the court constituted under section 9;

d) "financial establishment" means an individual, an association of individuals, a firm or a company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) or a limited liability partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a cooperative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);

e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department.

3. (1) A financial establishment which commits default in repayment of deposit or benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service promised against such deposit, Fraudulent default by financial establishment.

or fails to render any specific service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such default due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promises made while accepting such deposit or arising out of deployment of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

(2) If any financial establishment defaults any repayment of deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render service as assured against the deposit, every person including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business or affairs of such financial establishment shall be punished with imprisonment for a term which may extend upto seven years and with fine upto two lakh rupees. Such financial establishment shall also be liable for a fine which shall not be less than five lakh rupees or where such deposit is quantifiable in terms of money twice the defrauded amount whichever is more:

Provided that in the absence of special and adequate reasons recorded, the imprisonment shall not be less than three years with fine which shall not be less than fifty thousand rupees as against each individual and not less than two lakh rupees against such financial establishment.

Attachment of
properties on
default of return
of deposit.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, —

(i) where upon complaint received from the depositor or otherwise, the District Magistrate is satisfied that any financial establishments has failed---

(a) to return the deposit after maturity or on demand by the depositor; or

(b) to pay interest or other assured benefit; or

(c) to provide the service promised against such deposit; or

(ii) where the District Magistrate has reason to believe that any financial establishment is acting in a calculated manner detrimental to the interests of the depositor, with intention to defraud them and if the District Magistrate is satisfied that such financial establishment is not likely to return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received, the District Magistrate may, in order to protect the interest of the depositors of such financial establishment, after giving an opportunity of hearing and recording reasons in writing, issue an order by publishing it in the Official Gazette, for attaching the money, property or assets

belonging to or believed to have been acquired by such financial establishment either in its own name or in the name of any other person, from and out of the deposits collected by the financial establishment, or if it transpires that such money or other property or assets, is not available for attachment or are not sufficient for repayment of the deposits, may order attachment of such other property or assets of the said financial establishment or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers, members or any other person of the said financial establishment, as the District Magistrate may deem fit.

(2) On the publication of the order under sub-section (1), all monies, properties and assets of the financial establishment and in the name of the persons mentioned therein shall forthwith vest in the competent authority appointed by the District Magistrate pending further order from the designated court.

(3) On receiving a complaint under sub-section (1), the District Magistrate shall forward such complaint, along with his report to the Government at the earliest and shall send a copy of the complaint to the concerned Superintendent of Police in the district for investigation.

(4) The attachment shall be made in the manner provided for attachment of property in execution of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908).

5. The District Magistrate may while issuing order under sub-section (1) of section 4, appoint any officer not below the rank of the Assistant Collector First Grade as the competent authority to exercise control over the money and the properties attached by the District Magistrate under section 4. Appointment of competent authority.

6. (1) On receipt of order of appointment, the competent authority shall take such necessary steps, as it deems necessary or expedient for taking physical possession of all monies, properties and assets of the concerned financial establishment attached by the District Magistrate under section 4. Duties and powers of competent authority.

(2) The competent authority shall, within thirty days from the date of the publication of the said order, apply to the designated court, accompanied by one or more affidavits stating the grounds on which the District Magistrate has issued the said order under section 4 and the amount of money or other properties or assets belonging to or believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as designated court may deem fit.

(3) Without prejudice to the generality of the foregoing powers vested under sub-section (1) and (2), the competent authority may —

(a) seek assistance of any police authority or any other authority or person and on such requisition, it shall be the duty of the police

authority or such other authority or person to provide necessary assistance;

- (b) open bank accounts in any Scheduled bank and credit all monies realised and operate the bank account while dealing with the money received in his capacity as competent authority;
- (c) direct the person in possession or control over any money, property or assets of the financial establishment to furnish necessary information or to handover possession of such money, property and assets and such person shall comply with the directions forthwith;
- (d) appoint legal practitioner or chartered accountant or any other person whose services are necessary for taking possession and realisation of the assets of the financial establishment; and
- (e) make payment as per the orders passed by the designated court from the bank account.

(4) The competent authority may also make an application to any court or any other judicial forum established or constituted or entrusted with the powers by any other State Government under any similar enactment for adjudicating any issue or subject matter pertaining to money or property or assets belonging to a financial establishment situated within the territorial jurisdiction of that court or any judicial forum, as the case may be, for passing appropriate orders.

Assessment of
assets and deposit
liabilities.

7. (1) Within thirty days from the date of appointment, the competent authority shall assess the deposit liabilities and the assets of the financial establishment and submit a report thereof to the designated Court.

(2) The competent authority thereafter shall issue notice either individually or by means of effective media publication, inviting the claims by secured creditors, if any, and also the depositors of the financial establishment to submit their claims with proper proof to establish the same.

(3) Every notice under sub-section (2) sent to or deemed to have been effected to claimants shall state that if the statement of claim is not sent to the competent authority before the expiry of the period of one month from the date of notice, the claim shall not be considered under the provisions of this Act.

(4) Every notice sent to a secured creditor shall require him to value the security before the expiry of the period of one month from the date of the notice and such notice shall also state that if the statement of the claim together with the valuation of the security is not sent to the competent authority, the competent authority shall value the security and such valuation shall be binding.

Report by
competent
authority

8. After making a report under section 7, the competent authority shall make an application to the designated court seeking permission to make payment to the depositors out of the money realised. While making such application, the

competent authority shall assess the liability to the depositors and the other liabilities and in case the money attached or realisable is not sufficient to meet the entire liability, make a submission to the designated court seeking permission for making payment to the depositors and disburse the money as per the orders of the designated court.

9. (1) For the purposes of this Act, the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, by notification in the Official Gazette, constitute one or more designated courts in the cadre of a District Judge including Additional District Judge for such area or areas or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification. Designated court

(2) No court other than the designated court, shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act are invoked.

(3) Any pending case in any other court to which the provisions of this Act apply, shall, stand transferred to the designated court from the date of issue of notification under sub-section (1).

10. (1) Upon receipt of an application under section 6, the designated court shall issue to the financial establishment or to any other person whose property is attached and vested in the competent authority under section 4, a notice accompanied by the application, affidavits and other evidence, if any, recorded, calling upon the said establishment or the person to show cause on or before a date to be specified in the notice, as to why the order of the attachment should not be made absolute. Power of designated court regarding attachment.

(2) The designated court shall also issue such notice, to all other persons represented to it as having or being likely to claim, any interest or title in the property of the financial establishment or the person to whom the notice is issued under sub-section(1), calling upon all such persons to appear on the same date as specified in the notice and make objection, if they so desire, to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property or portion thereof.

(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection as aforesaid to the designated court at any time on or before the specified date before an order is passed under sub-section (4) or sub-section (6).

(4) The designated court shall if no cause is shown and no objection is made on or before the specified date under sub-section (1), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue such direction as may be necessary for realisation of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realised from and out of the property so attached.

(5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid, the designated court shall proceed to investigate the same and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respects, the designated court shall, subject to the provisions of this Act, follow the summary procedure as contemplated under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), and exercise all the powers of a civil court in hearing a suit. Any person making an objection shall be required to adduce evidence to show that on the date of the attachment, he had some interest in the property so attached.

(6) After investigation under sub-section (5), the designated court shall pass an order, as early as possible, preferably within one year of the reference of the case to it, either making the order of attachment passed under sub-section (1) of section 4 absolute or varying it by realising a portion of the property from attachment or cancelling the order of attachment:

Provided that the designated court shall not release from attachment any interest which the financial establishment or the person referred to in sub-section (1) has in the property, unless it is satisfied that there shall remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for repayment to the depositors of such financial establishment.

(7) Where the designated court passes an order under sub-section (6), making the order of attachment absolute or varying the order of attachment by releasing a portion of the property from attachment, it may issue such direction as may be necessary for realization of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realised from and out of the assets so attached.

Attachment of
property of malafide
transferees.

11. (1) Where the assets available for attachment of a financial establishment or other person referred to in section 4 are found to be less than the amount or value which such financial establishment is required to repay to the depositors and where the designated court is satisfied by affidavit or otherwise, that there is reasonable cause for believing that the said financial establishment has transferred (whether before or after the commencement of this Act) any of the property otherwise than in good faith and for consideration, the designated court may, by notice, require any transferee of such property (whether or not he received the property directly from the said financial establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause as to why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.

(2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 10, the designated court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith and for consideration, the designated court shall order the attachment of so much of the said transferee's property as is in the opinion of the designated court is equivalent to the proper value of the property transferred.

12. Any financial establishment or person whose property has been or is about to be attached under this Act may, at any time, apply to the designated court for permission to give security in lieu of such attachment and where the security offered and given is, in the opinion of the designated court, satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or refrain from making the order of attachment absolute, as the case may be. Security in lieu of attachment.
13. The designated court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the competent authority under this Act and after giving the competent authority an opportunity of being heard, pass such order as the designated court considers just and reasonable for— Administration of property attached.
- (a) providing from such property, so attached and vested in the competent authority as the applicant claims, an interest in such sums as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and his family, and for expenses connected with the defence of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the designated court under section 3;
 - (b) safeguarding so far as may be practicable, the interest of any business affected by the attachment and in particular, the interest of any partners in such business.
14. Any person including the competent authority, if aggrieved by an order of the designated court, may appeal to the High Court within sixty days from the date of the order. Appeal.
15. The Government shall, by notification, appoint an advocate of not less than ten years standing at Bar as a Special Public Prosecutor or Special Government Pleader for the purpose of conducting the case in the designated court. Special public prosecutor
16. (1) The designated court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and, in trying the accused person, shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), for the trial of Sessions cases. Procedure and powers of designated court regarding offences.
- (2) All the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), shall, so far as may be, apply to the proceedings before a designated court and for the purposes of the said provisions, a designated court shall be deemed to be the court of Magistrate.
- (3) The offence punishable under this Act shall be cognizable.
17. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law. Act to override other laws.

- Protection of action taken in good faith. **18.** No suit or other proceedings shall lie against the Government or the competent authority or an officer or employee of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
- Power to make rules. **19.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.
- Power to remove difficulties. **20.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient to remove the difficulty.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been a rapid growth of Financial establishments, in the State. These financial establishments are receiving deposits from the public, mostly middle class and poor classes on the promise of high rates of interest and gains. Many of the financial establishments have defaulted to return to the public, the deposits on maturity and thereby cheating the depositors of their legitimative due. As suggested by Reserve Bank of India the State Government should enact a law in order to protect the interests of the depositors to regulate the activities of such financial establishments.

Accordingly, the Haryana (Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments) Bill, 2013 being introduced in the State Legislature and both the Houses for approval. The Bill will then be sent to the Government of India to obtain assent of the President.

The Bill among other things provides for the following:—

- (i) Defining the term "Default" to include fraudulent failure to return the deposit or pay interest, bonus, and profit or in any other form.
- (ii) Attachment of property of financial establishment and that of the Promoter, Director, Partner, Manager or Member of the Financial Establishment, in case of default of return of deposit along with other benefits.
- (iii) Appointment of competent authority/District Magistrate to exercise control over the said property and the powers and duties of the competent authority.
- (iv) Constitution of Special Court for dealing with all the cases.
- (v) Institution of Criminal Proceedings against the Promoter, Partner, Director, Manager or any other person responsible for management of the Financial Establishment for contravention of the provisions of the law which is punishable up to seven years of imprisonment and up to two lakh rupees of fine.

Certain other consequential and incidental provisions are also made.

Hence the Bill.

HARMOHINDER SINGH CHATTHA,
Finance Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 7th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 19 of the proposed Bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 21 —एच० एल० ए०

हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2013

वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण
करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या
उनसे आनुशंगिक मामलों हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी;
 - (ख) "निक्षेप" में किसी वित्तीय स्थापना द्वारा, धन की कोई प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति चाहे नकदी में या किसी भी प्रकार से या ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी लाभ सहित या के बिना विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में शामिल है तथा सदैव शामिल की गई समझी जायेगी, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है—
 - (i) भारतीय प्रतिभूतियां तथा विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम 15), के अधीन जारी किए गये मार्गदर्शनों तथा बनाये गये विनियमों के अधीन आने वाली शेर्यर पूंजी के रूप में या ऋणपत्र, बन्धपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के रूप में जुटाई गई राशि;
 - (ii) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में अभिदाय की गई राशि;
 - (iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त की गई राशि;
 - (iv) निम्नलिखित से प्राप्त की गई कोई राशि —
 - (I) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;
 - (II) राज्य वित्तीय निगम ;

- (III) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था; या
- (IV) कोई अन्य संस्था जो इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ,
- (v) निम्नलिखित के रूप में कारबार के साधारण अनुक्रम में प्राप्त की गई राशियां - ,
- (I) प्रतिभूति निक्षेप ;
- (II) व्यवहारी निक्षेप ;
- (III) अग्रिम धन , या
- (IV) माल या सेवाओं हेतु मांग पर अग्रिम ;
- (vi) राज्य में तत्समय लागू साहूकारी से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत वैयक्तिक या फर्म या व्यक्ति-संगम जो निगमित निकाय नहीं है. से प्राप्त की गई कोई राशि;
- (vii) चिट के सम्बन्ध में अंशदानों के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "चिट" का वही अर्थ होगा, जो चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40), की धारा 2 के खण्ड (ख) में इसे निर्दिष्ट किया गया है ; तथा

- (viii) किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल) के विक्रय पर क्रेता को किसी विक्रेता द्वारा दिया गया कोई ऋण;
- (ग) "पदाभिहित न्यायालय" से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन गठित न्यायालय;
- (घ) "वित्तीय स्थापना" से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन पंजीकृत वैयक्तिक, व्यक्ति-संगम, फर्म या कम्पनी या सीमित देनदारी भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत सीमित देनदारी भागीदारी जो किसी स्कीम या प्रबन्धन के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेप स्वीकार करती है, किन्तु इसमें किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन निगम या सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी शामिल नहीं है;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

3. (1) कोई वित्तीय स्थापना जो निक्षेप या ब्याज, बोनस, लाभ या यथा वचनबद्ध किसी अन्य रूप में लाभ का पुनः भुगतान करने में चूक करती है या ऐसे निक्षेप के प्रति वचनबद्ध कोई विनिर्दिष्ट सेवा देने में असफल रहती है, या किसी व्यक्ति को अनुचित अभिलाभ पहुंचाने के आशय से निक्षेप के विरुद्ध सहमति के अनुसार कोई विशिष्ट सेवा देने में असफल रहती है या दूसरे व्यक्ति की सदोष हानि करती है या अव्यवहार्य से उत्पन्न इसकी असमर्थता के कारण ऐसी चूक करती है या ऐसा निक्षेप स्वीकार करते समय किए गए वचन के अनुसार वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है या धन के परिणियोजन से उत्पन्न या ऐसी रीति में निक्षेपों में से अर्जित परिसम्पत्तियां जब आवश्यक हों, उन्हें वसूल करने में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त है, कपटपूर्ण रूप से की गई चूक समझी जाएगी या विशिष्ट सेवा देने में असफल रही समझी जाएगी।

वित्तीय स्थापना द्वारा कपटपूर्ण चूक।

(2) यदि कोई वित्तीय स्थापना ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या यथा वचनबद्ध किसी अन्य रूप में किसी लाभ सहित परिपक्वता पर निक्षेप के किसी पुनः भुगतान करने में चूक करती है या निक्षेप के प्रति दिए गए आश्वासन के अनुसार सेवा देने में असफल रहती है, तो ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारबार या कियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रोत्साहक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक या किसी अन्य व्यक्ति या किसी कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति, कारावास की ऐसी अवधि से जो सात वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकता है, दण्डित होगा। ऐसी वित्तीय स्थापना जुर्माना जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा या जहां ऐसा निक्षेप धन के रूप में कपटपूर्ण राशि से अनुमान्य दोगुना है, जो भी अधिक हो, के लिए भी दायी होगी :

परन्तु अभिलिखित विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में, जहां तक प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध है कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रति दो लाख रुपए से कम नहीं होगा।

4. (1) तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—

निक्षेप की वापसी की चूक पर सम्पत्तियों की कुर्की।

(i) जहां निक्षेपक या अन्यथा से प्राप्त की गई शिकायत पर, जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई वित्तीय स्थापना —

(क) परिपक्वता के बाद या निक्षेपक द्वारा मांग करने पर निक्षेप वापस करने में असफल रहती है; या

(ख) ब्याज या अन्य सुनिश्चित लाभ का भुगतान करने में असफल रहती है; या

(ग) ऐसे निक्षेप के विरुद्ध वचनबद्ध सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहती है; या

(ii) जहां जिला मजिस्ट्रेट के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपक को प्रवंचित करने के आशय से उनके हितों के लिए हानिकार संगणित रीति में कार्य कर रही है तथा यदि जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसी वित्तीय स्थापना के लिए निक्षेप वापस करना अथवा ब्याज या अन्य आश्वासित लाभों

का भुगतान करना या सेवाएं, जिनके विरुद्ध निक्षेप प्राप्त किया गया है, उपलब्ध करवाना संभाव्य नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी वित्तीय स्थापनाओं के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, सुनवाई का अवसर देने तथा, कारणों को अभिलिखित करने के बाद, वित्तीय स्थापना द्वारा संग्रहीत निक्षेपों से तथा में से ऐसी वित्तीय स्थापना चाहे उसके अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से संबंधित या द्वारा अर्जित करने के लिए माने गए धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों की कुर्की के लिए या यदि यह प्रकट होता है कि ऐसा धन या अन्य सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेपों के पुनः भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो उक्त वित्तीय स्थापना की ऐसी अन्य सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों, या उक्त वित्तीय स्थापना के प्रोत्साहकों, भागीदारों, निदेशकों, प्रबन्धकों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के कुर्की के आदेश कर सकता है जैसा जिला मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर, वित्तीय स्थापना तथा उसमें वर्णित व्यक्तियों के नाम से सभी धन, सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां पदाभिहित न्यायालय से लम्बित आगामी आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में तुरन्त निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट सहित ऐसी शिकायत सरकार को शीघ्र भेजेगा तथा अन्वेषण के लिए जिले में सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक को शिकायत की प्रति भेजेगा।

(4) कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) के अधीन डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की हेतु उपबन्धित रीति में की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

5. जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करते समय धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क किए गए धन तथा सम्पत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जो सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड की पदवी से नीचे का न हो।

सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य तथा शक्तियां।

6. (1) नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क किए गए सम्बद्ध वित्तीय स्थापना के सभी धन, सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए ऐसे आवश्यक कदम, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उठाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उक्त आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर, आधार जिन पर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 4 के अधीन उक्त आदेश जारी किया है तथा ऐसे आगामी आदेशों के लिए जो पदाभिहित न्यायालय ठीक समझे धन की राशि या अन्य सम्पत्तियां या परिसम्पत्तियां जो निक्षेपों से सम्बन्धित हों या में से अर्जित की गई मानी गई हों तथा व्यक्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हो, जिनके नाम ऐसी सम्पत्ति धारा 4 के अधीन निहित की गई या अर्जित की गई या कुर्क की गई कोई अन्य

सम्पत्ति मानी गई हो, अभिव्यक्त करते हुए एक या अधिक शपथ-पत्रों के साथ पदाभिहित न्यायालय को आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन निहित पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी -

- (क) किसी पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की सहायता ले सकता है तथा ऐसी अपेक्षा पर, पुलिस प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का आवश्यक सहायता देने का कर्तव्य होगा;
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक में खाते खुलवा सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपनी हैसियत में प्राप्त किए गए धन का संव्यवहार करते समय वसूल किए गए सभी धन जमा करवा सकता है तथा बैंक खाते का संचालन कर सकता है;
- (ग) वित्तीय स्थापना के किसी धन, सम्पत्ति या परिस्मृतियों पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने या ऐसा धन, सम्पत्ति तथा परिस्मृतियों का कब्जा सुपुर्द करने तथा ऐसे व्यक्ति को तुरन्त निर्देशों की अनुपालना करने के लिए निदेश दे सकता है;
- (घ) विधि व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउंटेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिनकी सेवाएं वित्तीय स्थापना की परिस्मृतियों का कब्जा लेने और वसूली करने के लिए आवश्यक हैं, को नियुक्त कर सकता है; तथा
- (ङ) पदाभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खाते से भुगतान कर सकता है।

(4) सक्षम प्राधिकारी उस न्यायालय या किसी न्यायिक फोरम, जैसी भी स्थिति हो, की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी वित्तीय स्थापना से सम्बन्धित धन या सम्पत्ति या परिस्मृतियों से सम्बन्धित मामले के किसी विवाद या विषय के न्यायनिर्णित हेतु किसी समरूप अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक फोरम में समुचित आदेश पारित करवाने हेतु आवेदन भी कर सकता है।

7. (1) नियुक्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना के निक्षेप दायित्वों तथा परिस्मृतियों का निर्धारण करेगा तथा पदाभिहित न्यायालय को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परिस्मृतियों तथा निक्षेप दायित्वों का निर्धारण।

(2) सक्षम प्राधिकारी उसके बाद या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रभावी मीडिया प्रकाशन के द्वारा, प्रतिभूत लेनदार, यदि कोई हो, के दावों को आमंत्रित करते हुए लिए तथा वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों को भी दावों को सिद्ध करने हेतु उचित सबूत सहित उनके दावों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) उप धारा (2) के अधीन दावाकर्ताओं को भेजा गया या प्रभावी किया गया, समझा गया प्रत्येक नोटिस जिसमें अभिव्यक्त किया जाएगा कि यदि दावे का विवरण

नोटिस की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा गया है, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूत लेनदार को भेजे गये प्रत्येक नोटिस में नोटिस की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व उससे प्रतिभूति के मूल्य की अपेक्षा करेगा तथा ऐसे नोटिस में यह भी अभिव्यक्त करेगा कि यदि प्रतिभूति के मूल्यांकन के साथ-साथ दावे का विवरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रतिभूति का मूल्यांकन करेगा तथा ऐसा मूल्यांकन बाध्यकारी होगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट।

8. धारा 7 के अधीन रिपोर्ट करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी वसूल किए गए धन में से निक्षेपकों को भुगतान करने की अनुज्ञा मांगते हुए पदाभिहित न्यायालय को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करते समय, सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकों के दायित्व तथा अन्य दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा यदि कुर्क किया गया या वसूलीयोग्य धन सम्पूर्ण दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो निक्षेपकों को भुगतान करने के लिए पदाभिहित न्यायालय से अनुज्ञा मांगते हुए अनुरोध करेगा तथा पदाभिहित न्यायालय के आदेशों के अनुसार धन का वितरण करेगा।

पदाभिहित न्यायालय।

9. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी या वर्ग के लिए अपर जिला न्यायाधीश सहित जिला न्यायाधीश के संवर्ग में एक या अधिक पदाभिहित न्यायालय गठित कर सकती है।

(2) पदाभिहित न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय को जो किसी मामले के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों को अवलंब लेता है, अधिकारिता नहीं होगी।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की तिथि से पदाभिहित न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा।

कुर्की से संबंधित पदाभिहित न्यायालय की शक्ति।

10. (1) धारा 6 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, पदाभिहित न्यायालय, वित्तीय स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति धारा 4 के अधीन कुर्क की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित है, आवेदन, शपथ-पत्रों तथा अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, द्वारा संलग्न नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को या से पूर्व उक्त स्थापना या व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न कुर्की का स्पष्ट आदेश किया जाए, अभिलिखित करते हुए नोटिस जारी करेगा।

(2) पदाभिहित न्यायालय, इसको प्रतिवेदन करने वाले सभी अन्य व्यक्तियों जो वित्तीय स्थापना की सम्पत्ति में कोई हित रखते हैं या हक रखते हैं या हक होने की सम्भावना का दावा करने या उन व्यक्तियों जिनको उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट उसी तिथि को उपस्थित होने के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों से अपेक्षा करते हुए तथा सम्पत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के सम्बन्ध में इस आधार पर कि वे ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग में हित रखते हैं, कोई आक्षेप, यदि वे ऐसा चाहते हैं, करते हैं, को भी ऐसा नोटिस जारी करेगा।

(3) कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, किसी बात के होते हुए भी कि उस पर इस धारा के अधीन कोई नोटिस तामील नहीं किया गया है, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, से पूर्व विनिर्दिष्ट तिथि को या से पहले किसी भी समय पदाभिहित न्यायालय को यथापूर्वोक्त कोई आक्षेप कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि को या से पूर्व यदि कोई हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है और कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तो पदाभिहित न्यायालय कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए तुरन्त आदेश पारित करेगा, तथा कुर्क परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए तथा इस प्रकार वसूल किए गए धन से तथा कुर्क की गई सम्पत्ति में से निक्षेपकों के बीच उचित वितरण करने के लिए यथा आवश्यक ऐसा निदेश जारी करेगा।

(5) यदि यथापूर्वोक्त कोई हेतुक दर्शाया जाता है या कोई आक्षेप किया जाता है, तो पदाभिहित न्यायालय, उसके अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होगा और ऐसा करने में पक्षकारों के ब्यान देने के सम्बन्ध में और सभी अन्य प्रकार से पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, सिविल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) के अधीन यथा अपेक्षित संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, तथा वाद की सुनवाई में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। आक्षेप करने वाले किसी व्यक्ति से साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जाएगी कि कुर्की की तिथि को उसका इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति में कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के बाद, पदाभिहित न्यायालय इसको मामले के प्रेषण के अधिमानतः एक वर्ष के भीतर, यथाशीघ्र सम्भव, या तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए या कुर्की से सम्पत्ति के भाग की वसूली द्वारा इसमें हेर-फेर करते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए आदेश पारित करेगा :

परन्तु पदाभिहित न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय स्थापना या व्यक्ति जो सम्पत्ति में कोई हित रखता है, कुर्की से तब तक निर्मुक्त नहीं करेगा जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि कुर्की के अधीन किसी राशि या सम्पत्ति का मूल्य ऐसे मूल्य से कम नहीं होगा जो ऐसी वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों को पुनः भुगतान करने के लिए अपेक्षित है।

(7) जहां पदाभिहित न्यायालय उपधारा (6) के अधीन कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए या कुर्की से सम्पत्ति के किसी भाग को निर्मुक्त करते हुए कुर्की के आदेश में हेर-फेर करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो यह कुर्क की गई परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए तथा इस प्रकार वसूल किए गए धन से तथा कुर्क की गई परिसम्पत्तियों में से निक्षेपकों के बीच उचित वितरण के लिए यथा आवश्यक ऐसे निदेश जारी कर सकता है।

11. (1) जहां धारा 4 में निर्दिष्ट वित्तीय स्थापना या अन्य व्यक्ति की कुर्की हेतु उपलब्ध परिसम्पत्तियां, ऐसी राशि या मूल्य से कम की पाई जाती हैं जो ऐसी वित्तीय स्थापना से निक्षेपकों को पुनः भुगतान करने के लिए अपेक्षित हैं, तथा जहां पदाभिहित न्यायालय शपथ-पत्र या अन्यथा से संतुष्ट हो जाता है कि उसके विश्वास करने के

असदभावपूर्वक अन्तर्गतियों की सम्पत्ति की कुर्की।

लिए युक्तियुक्त कारण हैं कि उक्त वित्तीय स्थापना ने सद्भावपूर्वक और सप्रतिफल से भिन्न किसी भी सम्पत्ति का अन्तरण (चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व या बाद में) किया है, तो पदाभिहित न्यायालय, नोटिस द्वारा, ऐसी सम्पत्ति (चाहे उसने उक्त वित्तीय स्थापना से सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की है या नहीं) के किसी अन्तरिती से नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को उपस्थित होने तथा कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न अन्तरिती की सम्पत्ति के लगभग उतने को ही कुर्क कर दिया जाए जो अन्तरित की गई सम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर है।

(2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित नहीं होता है तथा कारण नहीं बताता है, या जहां धारा 10 की उपधारा (5) में उपबन्धित रीति में अन्वेषण के बाद, पदाभिहित न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्वक और सप्रतिफल नहीं था, तो पदाभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की सम्पत्ति के लगभग उतने की ही कुर्की के आदेश करेगा जो पदाभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित की गई सम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर हो।

कुर्की के बदले में प्रतिभूति।

12. कोई वित्तीय स्थापना या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है या कुर्क की जाने के दायरे में है, किसी भी समय, पदाभिहित न्यायालय को ऐसी कुर्की के बदले में प्रतिभूति देने की स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा तथा जहां पदाभिहित न्यायालय की राय में प्रस्तावित तथा दी गई प्रतिभूति, सन्तोषजनक तथा पर्याप्त है, तो वह, यथास्थिति, कुर्की के आदेश को रद्द कर सकता है या कुर्की के स्पष्ट आदेश करने से विरत रहेगा।

कुर्क की गई सम्पत्ति का प्रशासन।

13. पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर तथा सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो पदाभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त समझे—

(क) इस प्रकार कुर्क तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी सम्पत्ति से जिसका आवेदक ऐसी राशियों में हित का दावा करता है जो आवेदक तथा उसके परिवार के भरणपोषण के लिए तथा आवेदक की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित खर्चों के लिए, जहां धारा 3 के अधीन दायिदक कार्यवाहियां पदाभिहित न्यायालय में उसके विरुद्ध संस्थित की गई हैं, के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हैं, उपलब्ध करवाना,

(ख) जहां तक व्यवहार्य हो कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हित तथा विशेषतः ऐसे कारबार में किन्हीं भागीदारों के हित को सुरक्षित रखना।

अपील।

14. यदि सक्षम प्राधिकारी सहित कोई व्यक्ति, पदाभिहित न्यायालय के आदेश से व्यथित है, तो आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है।

विशेष लोक अभियोजक।

15. सरकार, अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए बार में कम से कम दस वर्ष के स्थाई अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करेगी।

16. (1) पदाभिहित न्यायालय विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है तथा अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करते समय, सत्र मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा। अपराधों के बारे पदाभिहित न्यायालय की प्रक्रिया तथा शक्तियां।
- (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), के सभी उपबन्ध, जहां तक हो सके, पदाभिहित न्यायालय के सम्मुख कार्यवाहियों को लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में समझा जाएगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
17. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रिवाज या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव रखेंगे। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।
18. इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, सरकार या सक्षम प्राधिकारी या सरकार के अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
19. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।
20. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य में वित्तीय प्रतिष्ठानों का त्वरित विकास हो रहा है। ब्याज की उच्च दरों एवं लाभ देने के वायदे के कारण इन वित्तीय प्रतिष्ठानों में लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्गों द्वारा राशि जमा करवाई जा रही है। अनेक वित्तीय प्रतिष्ठान लोगों को परिपक्वता की अवधि के बाद धन राशि न लौटाने के दोषी है और इस प्रकार, वे जमाकर्ताओं को उनकी न्यायोचित देय राशि न देकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाया है कि राज्य सरकार को एक कानून बनाना चाहिए ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठानों की गतिविधियों को विनियमित किया जा सके।

तदनुसार, राज्य विधानसभा तथा दोनों सदनों में स्वीकृति के लिए हरियाणा (वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण) विधेयक, 2013 लाया जा रहा है। फिर, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए इस विधेयक को भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

विधेयक में अन्य के अलावा निम्न के लिए प्रावधान है:-

- (i) जमा राशि या ब्याज, बोनस की अदायगी और किसी अन्य रूप से लाभ देने में असमर्थता के लिए धोखाधड़ी को शामिल करने हेतु "चूक" शब्द को परिभाषित करता है।
- (ii) अन्य लाभों सहित जमा राशि न लौटाने के अपराध के मामले में वित्तीय प्रतिष्ठान के साथ-साथ वित्तीय प्रतिष्ठान के प्रमोटर, निदेशक, हिस्सेदार, प्रबंधक या सदस्य की सम्पत्ति जब्त करना।
- (iii) सम्पत्ति के नियंत्रण और सक्षम प्राधिकारी के अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करना।
- (iv) सभी मामलों के निपटाने के लिए विशेष अदालत का गठन।
- (v) कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर वित्तीय प्रतिष्ठान के प्रमोटर, निदेशक, हिस्सेदार, प्रबंधक या प्रबंधन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करना, जिसके तहत सात वर्ष के कारावास और दो लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

कुछ अन्य परिणामी एवं आनुषंगिक प्रावधान भी किए गए हैं।

अतः विधेयक।

हरमोहिन्दर सिंह चट्टा,
वित्त मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 19 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बंधी ज्ञापन संलग्न हैं।